विस्तृत आख्या

परियोजना का नामः– जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी में राज्य योजना के अन्तर्गत ठांगधार – थौलधार मोटर मार्ग का नव निर्माण

सन्दर्भः– **प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी के पत्रांक 45/12–1 (2) नई टिहरी दिनांक 26.02.2019 के कम में।**

उपरोक्त मोटर मार्ग के नव निर्माण राज्य योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–89/लो0नि0–1/ 2004 –06 (प्रा0आ0)/2004 दिनांक 6.2.2004 के द्वारा 10.00 किमी0 लम्बाई लागत रू. 139.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त है।

यह मार्ग चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के चम्बा से मसूरी की ओर किमी0 15 से प्रारम्भ होता है। मार्ग ठांगधार नामक स्थान से प्रारम्भ होकर थौलधार नामक स्थान पर समाप्त होता है, इस मार्ग की कुल लम्बाई 7.775 किमी0 है। यह मोटर मार्ग बरवालगांव–क्यूलागी–नैर कैथोगी ग्रामों को जोडता है जिससे तीनों गांव की कुल 1226 की आबादी लाभान्वित होगी।

इस मार्ग का प्रारम्भिक 0.500 किमी0 का भाग वन विभाग द्वारा लगभग 3 मीटर चौडाई में निर्मित है जो कि आगे वाल्काखाल नामक स्थान पर मिलता है, प्रारम्भ के 0.50 किमी0 के पश्चात यह मोटर मार्ग नव निर्माण में निर्मित होना है। KML File में प्रदर्शित हो रहा मार्ग प्रथम 0.500 किमी0 वन विभाग द्वारा निर्मित मार्ग प्रदर्शित हो रहा है तथा अवशेष भाग ठांगधार–थौलधार का कच्चा पैदल मार्ग है जिसकी चौड़ाई 1.50 से 2.00 मीटर के मध्य है। यह पैदल मार्ग वाहनों के आवागमन हेतु उपयुक्त नही है।

उक्त मोटर मार्ग से बरवालगांव, क्यूलागी तथा नैर कैथोगी चक के स्थानीय ग्रामीण लाभान्वित होंगे जिनकी सुविधा हेतु इस मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना है। वर्तमान में थौलधार–बरवालगांव, क्यूलागी के लोगों को जिला मुख्यालय आने हेतु 52 किमी0 की लम्बी दूरी तय करने पडती है, इस मार्ग के बनने से मात्र 33 किमी0 की दूरी तय करने के पश्चात जिला मुख्यालय पंहुचा जा सकेगा। क्यूलागी तथा नैर कैथोगी के ग्रामवासियों को मुख्य सड़क तक पंहुचने हेतु लगभग 4–5 किमी0 की पैदल दूरी तय करनी पड़ती है, तत्पश्चात मोटर मार्ग से दूरी तय की जाती है। इस मार्ग के बनने से पैदल दूरी समाप्त होने के साथ ही कम दूरी तय कर जिला मुख्यालय तथा अन्य जरूरत के स्थानों पर पंहुचा जा सकेगा, साथ ही साथ इस मार्ग के बनने से धनोल्टी विधानसभा के थौलधार, कमान्द, लेंगर्थ आदि का एक बहुत बडा भू भाग कम दूरी तय कर जिला मुख्यालय तथा प्रदेश की राजधानी देहरादून पंहुच सकेंगे जिससे इन क्षेत्रों में होने वाली नकदी फसल, का उचित मूल्य काश्तकारों को मिल सकेगा तथा एक बडे क्षेत्र को कम दूरी में चिकित्सा आदि की सुविधाऐं प्राप्त हो सकेगीं। इस मार्ग के नव निर्माण से क्षेत्र के समुचित विकास के साथ–साथ स्थानीय जनता लाभान्वित होगी तथा क्षेत्रवासियों को यातायात की सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। मार्ग निर्माण हेतु उक्त प्रस्तावित वन भूमि लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड को हस्तान्तरित की जानी आवश्यक एवं न्यूनतम है।

इस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.275 कि.मी. लम्बाई मे आरक्षित वन भूमि जिसका क्षेत्रफल 2.9925 हे0, तथा 3.500 कि.मी. लम्बाई मे नाप भूमि जिसका क्षेत्रफल 2.45 हे0 है, की आवश्यकता है।

कमशः पेज नं0–02–

प्रस्ताव में वनभूमि हस्तानान्तरण हेतु मार्ग की चौड़ाई 7.00 मीटर ली गयी है तथा प्रस्ताव में आरक्षित वन भूमि के साथ सिविल सोयन भूमि एवं नाप भूमि में स्थित कुल 456 वृक्ष प्रभावित होंगे। इस क्षेत्र मे प्रस्तावित मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प उपलब्ध नही है। अन्य विकल्पों का निरीक्षण करने के पश्चात यह पाया गया कि उक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि अधिक आने के साथ ही मार्ग की लम्बाई भी अधिक होगी।

मार्ग से लाभान्वित होने वाले ग्रामों की सूची निम्न प्रकार है–

क0सं0	ग्राम	कोड	आवादी
1	बरवालगांव	003999200	425
2	क्यूलागी	00399300	739
3	नैर कैथोगी चक	00397900	62

मार्ग पर पड़ने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :–

1 आरक्षित वन भूमि का क्षेत्रफल – 2.9925 हे0 (लम्बाई 4.275 कि0मी0)

2 नाम भूमि का क्षेत्रफल – 2.45 हे0 (लम्बाई 3.500 कि0मी0)

अपर सहायक / कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
चम्बा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
चम्बा।

वन क्षेत्राधिकारी
टिहरी राजि0

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि. चम्बा
टिहरी गढवाल।

प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
नई टिहरी।